

संख्या-19(क)



राज. मं. एल. डब्लू./एन. पी. 859

लाइसेंस नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेंस टू पोस्ट एंड कन्संघनल री

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 जनवरी, 2000

पौष 23, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 86/सत्रह-वि-1--1(क)-42-99

लखनऊ, 13 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 10 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 को निरसित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2000 कहा जायगा। और प्रारम्भ

(2) यह 9 दिसम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

(55)

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 19
सन् 1999 का
निरसन
निरसन

2—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

3—उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1999 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या
सन् 1999

ज्ञाता से;
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 86 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-42-99

Dated Lucknow, January 13, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mahila Ayog (Nirsan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 10, 2000.

THE UTTAR PRADESH STATE COMMISSION FOR WOMEN
(REPEAL) ACT, 2000

[U. P. ACT No. 10 OF 2000]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1999.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 9, 1999.

Repeal of U. P.
Act no. 19 of
1999

2. The Uttar Pradesh State Commission for Women Act, 1999 is hereby repealed.

Repeal

3. The Uttar Pradesh State Commission for Women (Repeal) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

U. P.
Ordinance
no. 25 of
1999

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

वी०ए०ए०ए०ए० — २० वी० २५३ नो० वि० (१८५५) — २००० — ८५० (ने०) ।

(56)